न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

उच्छेदी अपील वाद सं0–09/2005
(आर0एम0आर0)

15

नरेश मुर्मू वगैरह
बनाम
जोनाथन मुर्मू वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

03.10.2017

यह रिभीजन वाद आवेदक जगरनाथ मुर्मू एवं सोम मुर्मू दोनों के पिता–स्व0 फागू मुर्मू सा0–चुनपाड़ा, थाना+अंचल–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय से आर0ई0आर0 वाद सं0–07/2004 में दिनांक 21.09.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा–चुनपाड़ा, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ का जमाबन्दी नं0–26 खतियानी रैयत फागू मुर्मू, पिता–सिदो मुर्मू एवं जादू मुर्मू वो भगन मुर्मू पिता–छक्कू मुर्मू के नाम से दर्ज है। आवेदक नं0–1 एवं 2 खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी नं0–3 एवं 4 जमाबन्दी नं0–26 के खतियानी रैयत के वंशज नहीं है, बल्कि बाहरी व्यक्ति है। अन्तिम सर्वे सेटेलमेन्ट के समय फागू मुर्मू जीवित थे। किन्तु उनका भाई छक्कू मुर्मू की मृत्यु हो चुकी थी। जिसके कारण जमाबन्दी नं0–26 के खतियान में छक्कू मुर्मू का पुत्र जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू का नाम दर्ज हुआ। फागू मुर्मू एवं छक्कू मुर्मू दोनों भाई थे। जमाबन्दी नं0–26 के खतियानी रैयत फागू मुर्मू एवं जादू मुर्मू, भगन मुर्मू, पिता–छक्कू मुर्मू का आधा–आधा हिस्सा है। सेटेलमेंट के बाद खतियानी रैयत जादू मुर्मू पाकुड़िया अंचल अन्तर्गत ग्राम–लागडुम में घरजमाई के रूप में सोना हेम्ब्रम, पिता–आशा हेम्ब्रम से शादी करके ससुराल लागडुम में ही स्थायी रूप से रहने लगे। संथाल रीति–रिवाज के अनुसार वे अपने ससूर के सम्पत्ति पर परिवार के साथ भोग–दखल करते रहे एवं उस गांव के निर्वाचक सूची में भी अपना नाम दर्ज कराये।

खतियानी रैयत भगन मुर्मू भी घरजमाई तरीके से बीरभूम जिला(प0बं0) के सुरंगाबाद गांव में शादी किये एवं वहां पर वे परिवार के

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	
1	साथ स्थायी रूप से बासोवास करने लगे। संथाल रीति–रिवाज के अनुसार जो घरजमाई के रूप में शादी करते है वे अपने पैतृक सम्पत्ति से वंचित हो जाते है। जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू कभी पैतृक गांव चुनपाड़ा नहीं लौटे और न ही जमाबन्दी नं0–26 के जमीन का दावा किये। वास्तविक रूप से संथाल रीति–रिवाज के अनुसार खतियानी रैयत फागू मुर्मू मौजा–चुनपाड़ा के जमाबन्दी नं0–26 का हकदार हुए। फागू मुर्मू के मृत्यु के बाद उनका पुत्रगण (आवेदकगण) दखलकार हुए एवं लगान आदि देते रहे। इनका यह भी कहना है कि विपक्षी नं0–3 एवं 4 के मदद से खतियानी रैयत जादू मुर्मू के पुत्र जोनाथन मुर्मू एवं दानियल मुर्मू के द्वारा आवेदकगण को मौजा चुनपाड़ा के 13 बीघा 1 कट्ठा 13 धुर जमीन से बलपूर्वक दखलमुक्त करते हुए अवैध रू॰ से कब्जा कर लिया। जिसके कारण आवेदकों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आर0ई0 आर0 केस नं0–07/2004 दायर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में विपक्षी के द्वारा दिनांक 20.07.2005 को दिये गये कारणपृच्छा एवं संलग्न वंशावली के अनुसार विपक्षी नं0–3 एवं 4 को एक ही वंश का होने का उल्लेख किया गया है। कारणपृच्छा में खतियानी रैयत जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू का और एक भाई सिदो मुर्मू को दिखाया गया है। साथ ही सिदो मुर्मू का पुत्र मरांग मुर्मू को जीवित होने एवं विपक्षी नं0–3 एवं 4 को मरांग मुर्मू का पुत्र होने का उल्लेख किया गया है। खतियानी रैयत जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू की शादी घरजमाई तरीका से होने एवं ससूराल में बसने के कारण वास्तविक रूप से वे लोग जमाबन्दी नं0–26 मौजा चुनपाड़ा के हकदार नहीं रहे। आगे उन्होंने राजस्व कर्मचारी को प्रभावित करके दो तरह के खतियानी रैयतों का वंशावली प्रस्तुत करने की बात बतायी गयी है। आगे उन्होंने बताया कि सर्वे के बाद बन्दोवस्त पदाधिकारी के द्वारा खतियान अधिसूचना के पूर्व आपत्ति संबंधी सूचना निर्गत किया जाता है। लेकिन खतियान पब्लिकेशन के 6 माह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं दिये जाने पर संथाल परगना सेटेलमेंट रेगुलेशन–1872 के नियम 24 एवं 25 के तहत खतियान में अंकित रैयत ही

Scanned with CamScanner

(16)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

जमीन का मालिक होता है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश के आलोक में कहा गया कि आवेदक को अपने स्वत्व एवं अधिकार के लिए व्यवहार न्यायालय में जाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदकगण खतियानी रैयत का वारिसान है।

इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 21.09.2005 को निरस्त करते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया गया। लिखित बहस में उनके द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

यह कि मौजा–चुनपाड़ा नं0–73 थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ का जमाबन्दी नं0–26 के खतियान में फागू मुर्मू पिता–सिदो मुर्मू एवं सिदो मुर्मू , जादू मुर्मू वो भगन मुर्मू पिता–छक्कू मुर्मू के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू के भाई सिदो मुर्मू है। विपक्षी नं0–1 एवं दो खतियानी रैयत जादू मुर्मू के लड़के एवं पौते है तथा विपक्षी नं0–3 एवं 4 मरांग मुर्मू के लड़के है, जो जीवित है। लेकिन आवेदकगण के द्वारा इन लोगों का नाम विपक्षी के रूप में नहीं दिया गया है। मरांग मुर्मू जमाबन्दी नं0–26 के खतियानी रैयत के संगे भाई सिदो मुर्मू का पुत्र है। खतियानी रैयत आपस में अपने भाई सिदो मुर्मू के साथ जमाबन्दी नं0–26 की जमीन का बंटवारा समान–समान हिस्से में अपने जीवनकाल में ही किये है। विपक्षी सं0–1 और 2 तथा सिदो मुर्मू खतियानी रैयत के भाई के उत्तराधिकारी के रूप में विपक्षी सं0–3 और 4 प्रश्नगत जमीन पर अपना पैतृक सम्पत्ति के रूप में बराबर अपने पिता एवं दादा के समय से शान्तिपूर्वक भोग–दखल एवं लगान भुगतान करते आ रहे है। दानियल मुर्मू की मृत्यु हो चुकी है। उनका पुत्र तपस मुर्मू दखल में है। जमाबन्दी नं0–26 में खतियानी रैयत फागू मुर्मू के हिस्से की जमीन का भोग– दखल आवेदकगण करते है। खतियानी रैयत जादू मुर्मू, भगन मुर्मू एवं उनके भाई सिदो मुर्मू की जमीन का भोग–दखल विपक्षीगण शान्तिपूर्वक करते आ रहे है।

प्रश्नगत भूमि अहस्तान्तरनीय है। दखल कब्जा विपक्षियों का है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	

आवेदकगण प्रश्नगत जमीन पर अपना हक या दावा जताते है, तो यह स्वत्व एवं अधिकार का विषय है, जो इस न्यायालय क्षेत्र से परे है। अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के जांच प्रतिवेदन में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 20 एवं 42 विपक्षियों पर लागू नहीं होता है। विपक्षीगण जोर जबरदस्ती और अनधिकृत रूप से प्रश्नगत जमीन के दखल–कब्जे में नहीं है। अपनी जमीन है। विपक्षी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का कोई भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

इनके द्वारा आवेदक का आवेदन को खारिज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनलोगों के द्वारा दाखिल लिखित बहस के साथ–साथ दाखिल कागजातों, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़िया द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ है कि अंचल–पाकुड़िया का मौजा–चुनपाड़ा थाना नं0– 73 का जमाबन्दी नं0–26 के मूल खतियानी रैयत फागु मुर्मू, पिता–रिदो मुर्मू एवं जादू मुर्मू वो भगन मुर्मू पिता–छक्कू मुर्मू थे। इस बात को लेकर भी उभय पक्षों में कोई विवाद नहीं है कि जमाबन्दी रैयत जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू की शादी संथाली रीति–रिवाज से घरजमाई के रूप में कमशः ग्राम– लागडुम, अंचल–पाकुड़िया तथा ग्राम–सुरंगाबाद , जिला–बीरभूम (प0बंगाल) में हुई थी तथा वे लोग अपने–अपने ससुर के सम्पति पर काबिज होकर भोग–दखल किया। अपीलार्थी द्वारा मौजा–लागडुम के मतदाता सूची में विपक्षी दानियल मुर्मू पे0–जादू मुर्मू (जमाबन्दी रैयत) का नाम दर्ज होने से संबंधित दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य (Documentary evidence) के खिलाफ विपक्षी द्वारा न ही कोई आपत्ति दाखिल किया गया है और न ही उनका नाम मौजा–चुनपाड़ा के मतदाता सूची में दर्ज होने का कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। खतियान में जमाबन्दी सं0–26 के मूल जमाबन्दी रैयतों का दर्ज नामों के विरूद्ध भी कोई विवाद नहीं है। आवेदकगण द्वारा जमाबन्दी सं0–26 के विरूद्ध जमा किए गए लगान राजस्व से संबंधित प्रस्तुत (Rent Receipt) लगान रसीद वर्ष 1987, 1986, 1985 2001, 1990, 1968, 1980 एवं 1973 जो फागू मुर्मू के

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नाम सम्पूर्ण जगीन 26 बीघा 2 कट्ठा 14 धुर के लिये निर्गत है, दाखिल किया गया है जिस पर भी विपक्षीगण का कोई आपत्ति नहीं है। संथाल परगना में अन्तिम सर्वे का कार्य 1922–35 के बीच सम्पन्न हुआ, जिसे गेंजर सर्वे के नाम से जाना जाता है। उक्त सर्वे के पश्चात् तैयार किये गये खतियान के आधार पर निर्मित जमाबन्दी पंजी (Tenant ledger) में खतियानी रैयत के रूप में जमाबन्दी सं0–26 में फागू मुर्मू, पिता–सिदो मुर्मू, एवं जादू मुर्मू वो भगन मुर्मू, पिता–छक्कू मुर्मू का नाम दर्ज है। यदि विपक्षी उक्त सर्वे खतियान में दर्ज किसी ईन्द्राज (entry) से क्षुब्ध थे, तो उन्हें अन्तिम प्रकाशन के छः माह के अन्दर Santhal Parganas Settlement Regulation, 1872 की धारा 24 एवं 25 के अन्दर अपना आपत्ति दाखिल करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। यानि वर्ष 1935 से अबतक खतियान में दर्ज Recorded tenant एवं उनके वारिशान को "treating, accepting and recognizing them as a raiyat" माना जाता रहा है। आवेदकगण द्वारा उच्छेद का मामला दर्ज करने पर विपक्षीगण द्वारा Recorded tenant के संबंध में एक नया कहानी गढ़ लिया गया, जिसका न ही कोई वैधिक आधार है और न ही अभिलेखीय साक्ष्य है, महज हल्का कर्मचारी के विरोधाभाषी प्रतिवेदन को आधार बनाकर जमाबन्दी रैयत का वंशज होने का दावा किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर बिना विचार किये ही जो आदेश पारित किया गया है वह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम,1949 की धारा 42 के प्रावधान तथा sprit of law को न केवल Negate करने वाला है बल्कि अनधिकृत कब्जाधारी (unauthorised possession) को प्रश्रय देने वाला है। यह भी स्थापित तथ्य है कि संथाल रीति–रिवाज के तहत घरजमाई तरीके से शादी करने वाले व्यक्ति अपने पैतृक सम्पत्ति से अपना अधिकार खोकर अपने ससुर के सम्पति का अधिकारी होकर दखल भोग प्राप्त करता है। इसके तहत मूल जमाबन्दी रैयत जादू मुर्मू एवं भगन मुर्मू द्वारा संथाल रीति–रिवाज के तहत घरजमाई तरीके से क्रमशः ग्राम लागडुम (पाकुड़िया) एवं सुरंगाबाद, जिला–बीरभूम

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

(प0बंगाल) में शादी करने के पश्चात् मूल जमाबन्दी सं0–26 से अपना हक खो दिया। फलतः जमाबन्दी सं0–26 के कुल जमीन 26 बीघा 2 कट्ठा 14 धुर का पूरा हक फागू मुर्मू एवं उनके वारिशन को प्राप्त हुआ जिसे कालान्तर में विपक्षी द्वारा एक षड्यंत्र रचकर आधे जमीन से बेदखल किया गया जो पूर्णतः अवैध, स्थापित नियमों तथा प्रावधानों के विपरीत है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खण्डित करते हुए SPT (Supplementary Provisions) Act 1949 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत आवेदकगण के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए विपक्षीगण द्वारा निम्नलिखित जमीन पर किये गये अवैध कब्जा से उनलोगों को उच्छेद (Evict) करने का आदेश दिया जाता है।

प्लॉट नं0	कुल रकवा	अवैध कब्जा वाली जमीन
12	1–07–00 धुर	0–13–10½ धुर दक्षिण भाग
170	0–09–01 धुर	0–04–10½ धुर पश्चिम भाग
247	1–04–16 धुर	0–12–08 धुर उत्तर भाग
345	10–05–02 धुर	5–02–11 धुर उत्तर भाग
346	03–12–00 धुर	1–16–00 धुर गड़िया इजमाल
347	0–09–01 धुर	0–04–10½ धुर दक्षिण भाग
348	0–11–10 धुर	0–05–15 धुर दक्षिण भाग
350	0–00–12 धुर	0–00–12 धुर इजमाल
760	1–09–01 धुर	0–14–10½ धुर उत्तर भाग
1013	4–15–12 धुर	2–07–16 धुर दक्षिण भाग
1163	1–18–2 धुर	0–19–01 धुर

साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़िया को आदेशित किया जाता है कि वे लोग वर्त्तमान में लगे धान की फसल की कटनी के पश्चात् 31.12.2017 तक उपरोक्त वर्णित जमीन से विपक्षी को उच्छेद करते हुए अपीलकर्त्ताओं को दखल कब्जा दिलाकर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में 15.01.2018 तक दाखिल करना सुनिश्चित करें।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण समय पर आदेश पारित नहीं किया जा सका। आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ आदेश पारित किया गया। आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। लेखापित एवं संशोधित 03/10/17 उ पा यु क्त, पाकुड़। 03/10/17 उ पा यु क्त, पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.05 16:07:00 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner